अध्याय-I : भूमिका

1.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा

यह प्रतिवेदन, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संगठनों की वित्तीय लेन-देन के अनुपालन की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है:

- थल सेना,
- अंतर-सेवा संगठन,
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा प्राथमिक रूप से थलसेना एवं आयुध फैक्टरियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं,
- सीमा सड़क संगठन,
- रक्षा लेखा विभाग
- आयुध फैक्टरियां

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ समन्वय भी करता है।

बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह से राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना भारतीय थल सेना का दायित्व है। देश को बाहरी आक्रमण से रक्षा करना एवं आंतरिक विद्रोह से राष्ट्र की क्षेत्रीय एकता को सुरक्षित रखना थल सेना का प्राथमिक दायित्व है। यह प्राकृतिक आपदाओं तथा आंतरिक अशान्ति के समय असैनिक प्राधिकरणों की सहायता भी करती है । इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए थल सेना के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को उपयुक्त रूप से सज्जित, आधुनिक एवं प्रशिक्षित रखे।

अंतर-सेवा संगठन जैसे कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना तीनों संभागों में रक्षा बलों को सेवा प्रदान करती हैं। ये इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य संसाधनों के विकास एंव रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के आधीन कार्य करता है। डीआरडीओ रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए समर्पित रूप से कार्य करता है और विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियों के उत्पादन हेतु तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित गुणवत्तात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप आयुधों एवं उपकरणों का रूपांकन एवं विकास करता है। अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से, डीआरडीओ, प्रमुखत: भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्म -निर्भता बढ़ाने के लिए रक्षा एवं अनुसंधान कार्य में लिप्त है। यह वैमानिकी, युद्ध-सामग्री, युद्ध-वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार-विन्यास, अभियांत्रिक प्रणालियों, मिसाइलों, सामग्रियों, नाविक-प्रणालियों, प्रगत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण एंव जीव-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करता है।

सीमा सडक संगठन (बीआरओ), महानिदेशक सीमा सड़क संगठन (डी जी बी आर) द्वारा शीर्षस्थ है जो कि सीमा क्षेत्र की सडकों के निर्माण, विकास, सुधार एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। बीआरओ, सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) के तहत रक्षा मंत्रालय में कार्य करता है जिसका अध्यक्ष रक्षा राज्य मंत्री (आर आर एम) होता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड(ओ एफ बी) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका अध्यक्ष महानिदेशक आयुध निर्माणियाँ होता है तथा सशस्त्र बलों को आयुध भंडारों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु इकतालीस फैक्टरियां उत्तरदायी हैं।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

लेखापरीक्षा हेतु हमारा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) (डीपीसी) अधिनियम 1971 से व्युत्पन्न हैं। हम सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम के भाग 13 के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी परिषदों की लेखापरीक्षा उल्लिखित अधिनियम के भाग 14 के अधीन की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त एवं पद्धति "लेखापरीक्षा और लेखा विनियम,2007" में प्रतिपादित किया गया है।

1.3 लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया

लेखापरीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण और जोखिम के मूल्यांकन के माध्यम से प्रमुख परिचालन इकाइयों में उनके महत्व की समीक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। किया गया व्यय, परिचालन महत्व, अतीत के लेखापरीक्षा

परिणाम और आंतरिक नियंत्रण की शक्ति आदि जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने के मुख्य कारकों में हैं। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरण के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षित इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की टिप्पणी का या तो निपटान कर दिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु उसे अगले लेखापरीक्षा चक्र के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाता है। गंभीर अनियमितताओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा, संरचनाबद्ध प्रयोग के माध्यम से लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करके, एंट्री कान्फ्रेंस, इकाइयों के नमूनों,एग्जिट कान्फ्रेंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया अन्तरनिष्ट कर तथा अन्तिम प्रतिवेदन जारी कर, की जाती है।

1.4 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय निहित है छः निष्पादन पुनरीक्षा तथा थल सेना, अंतर-सेवा संगठन, सीमा सडक संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा लेखा विभाग, आयुध फैक्टरियों से संबंधित रक्षा मंत्रालय के वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा पर आधारित 22 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं।

1.5 वित्तीय पहलू और बजटीय प्रबंधन

1.5.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय का 2015-16 के लिए बजटीय आवंटन आठ अनुदान मांगों में निहित हैं जिनमें से छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डीएसई) तथा दो असैनिक अनुदानों के अधीन है।

- मांग सं. 21 - रक्षा मंत्रालय (असैनिक) तथा मांग सं. 22 - रक्षा पेंशन दो असैनिक अनुदान हैं ।
- रक्षा सेवा अनुमानों (डीएसई) के छः अनुदान, जिस में निम्नलिखित शामिल हैं :-

  मांग सं. 23, रक्षा सेवाएं - थल सेना
  मांग सं. 24, रक्षा सेवाएं - नौसेना

मांग सं. 25, रक्षा सेवाएं - वायुसेना

मांग सं. 26, रक्षा आयुध फैक्टरियां

मांग सं. 27, रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

मांग सं. 28, रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय - रक्षा मंत्रालय (असैनिक) की अनुदान मांगों के अधीन से इतर सभी सेवाएं और विभाग शामिल हैं ।

- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015 से रक्षा मंत्रालय (असैनिक) अनुदान सं 21 के अधीन किया जाता हैं ।

उपरोक्त अनुदानों को मुख्यत: राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है।

- **राजस्व व्यय** : इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध फैक्टरियों द्वारा आपूर्तियां, राशन, पैट्रोल, तेल एवं स्नेहक पुर्जे आदि) राजस्व कार्य (जिसमें भवनों की रखरखाव, जल एवं विद्युत प्रभार,किराया प्रभार एवं कर इत्यादि) तथा अन्य विविध व्यय शामिल हैं।

- **पूँजीगत व्यय** : इसमें भूमि, नए हथियारों एवं गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेनाओं का आधुनिकीकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एंव मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एरो-इजिंन, गोदीबाड़े इत्यादि पर व्यय शामिल है।

विभिन्न अनुदान के लिए मांगों के अधीन सकल व्यय के प्रावधान हेतु संसद[1] से अनुमोदन लिया जाता है । प्राप्तियां एवं वसूलियां जिसमें फालतू/अप्रचलित भंडारों की बिक्री से प्राप्तियां, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के फलस्वरूप प्राप्तियों की मदें शामिल की जाती है तथा अन्य विविध मदें रक्षा सेवाओं हेतु छ: मांगें अर्थात मांग संख्या 23 से 28 का शुद्ध व्यय निकालने के लिए कुल व्यय से घटा दी जाती हैं । अनुदान सं. 24, रक्षा सेवाएं - नौसेना एवं अनुदान सं. 25, रक्षा सेवाएं - वायुसेना जिन पर अलग प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई है, से इतर इन अनुदानों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है ।

1.5.2 अनुदान सं. 21 एवं 22 - सिविल अनुदानों से व्यय

1.5.2.1 *अनुदान सं. 21 - रक्षा मंत्रालय का व्यय (असैनिक)*

मांग संख्या 21 के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को शामिल करते हुए बजटीय आवंटन एवं वास्तविक व्यय **तालिका -1** में दर्शाया गया है:

[1] रक्षा पर स्थायी समिति की प्रतिवेदन संख्या 20 (2012-13, पंद्रहवीं लोकसभा)

तालिका -1: बजटीय आवंटन एवं वास्तविक व्यय : एम ओ डी (असैनिक)

(₹ करोड़ में)

बीई	आरई	वास्तविक व्यय
23877	23190	23324

इसमें ₹19,606 करोड़ राजस्व शीर्ष के तहत और ₹3,718 करोड़ पूँजीगत शीर्ष के तहत शामिल हैं ।

तालिका -2: राजस्व और पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटकों को दर्शाने वाली तालिका

राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय	
विभाग का नाम	**₹ करोड़ में**	**विभाग का नाम**	**₹ करोड़ में**
कैंटीन भण्डार विभाग (सी एस डी)	14213	सीमा शुल्क- सीजीओ	1517
रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी)	1166	डी इ ओ - अन्य भवन	18
रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) - कार्यालय / आवासीय भवन	31	डी ए डी - अन्य भवन	6
रक्षा विभाग	121	डी ए डी - आवासीय भवन	9
तट रक्षक संगठन (सी जी ओ)	1517	सीमा सड़क संगठन	2166
जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फ़ेंट्री (जेएके एलआई)	988	अन्य विभाग	2
रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ)	346		
सीमा सड़क संगठन	1172		
अन्य विभाग	52		
कुल	**19606**		**3718**

*1.5.2.2 **अनुदान सं.** 22 - **रक्षा पेंशन***

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन, तीन सेवाओं के अर्थात थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित)और आयुध निर्माणियों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार प्रदान करता है। इसमें सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन के रूपान्तरित मूल्य, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान सम्मिलित हैं।

इस अनुदान के तहत वर्ष 2015-16 के बजटीय आबंटन और व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-3: बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
54,500	60,238	60,238

रक्षा पेंशन अनुदान हेतु मांग के अधीन निरंतर आधिक्य व्यय लेखापरीक्षा के लिए हमेशा ही विचारणीय रहा है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग ₹9435.90 करोड़ का आधिक्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात अर्थात् नवम्बर 2015 में किया गया। विनियोग लेखे इस आधार पर, कि पेंशन भुगतान स्क्राल उचंत शीर्ष के तहत पडे थे, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखांकन किया गया, को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखाओं में ही समायोजित किया जाना था, के आधार पर संशोधित किये गये। इस अनुदान के बजट के अशुद्ध अनुमानों की तैयारी पर सीएजी की वित्तीय लेखापरीक्षा 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 के पैरा 4.14 के तहत टिप्पणी की गई थी । इसके अतिरिक्त, पीएसबी उचंत शीर्ष के तहत रख कर वास्तविक व्यय न दर्शाया गया व्यय एमओडी की ओर से आर बी आई द्वारा बैंकों को वापस भुगतान किया गया ।

1.6 अनुदान संख्या 23 से 28 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.6.1 सरसरी दृष्टि से

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट (अनुदान संख्या 23 से 28) आंबटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारित) **तालिका-4** में दर्शाया गया है:

तालिका -4: कुल रक्षा बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2011-12	1,78,891	1,75,898
2012-13	1,98,526	1,87,469
2013-14	2,17,649	2,09,789
2014-15	2,54,000	2,37,394
2015-16	2,64,142	2,43,534

2015-16 में वास्तविक रक्षा व्यय संबंधी आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 2.59 प्रतिशत की वृद्धि और 2011-12 से 38.45 की कुल वृद्धि दर्शाता है।

1.6.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पूँजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे **चार्ट-1** में दर्शाया गया हैः

चार्ट-1: राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय (दत्तमत)

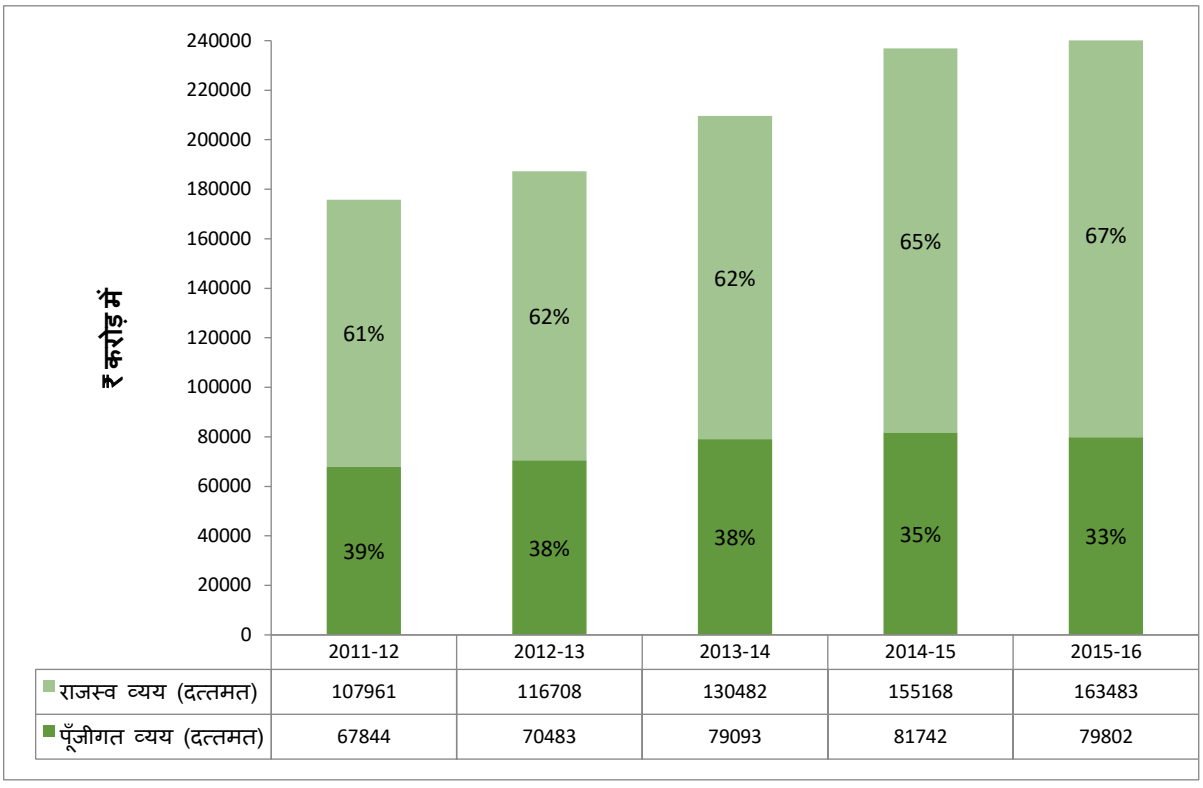

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (दत्तमत)	107961	116708	130482	155168	163483
पूँजीगत व्यय (दत्तमत)	67844	70483	79093	81742	79802

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रक्षा व्यय (दत्तमत) के प्रतिशत के रूप में दत्तमत पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात 2011-12 से 2015-16 के दौरान 33 एवं 39 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में राजस्व व्यय में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पूंजीगत व्यय में दो प्रतिशत की कमी हुई।

1.7 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 23,26,27 और 28[2]

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाले व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे **तालिका- 5** में दर्शाया गया हैः

[2] अनुदान संख्या 24- नौसेना एवं अनुदान संख्या 25- वायु सेना का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया है।

तालिका- 5 : थल सेना,आयुध निर्माणियाँ एवं आर एंड डी के व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	व्यय के घटक	वर्ष				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
थल सेना	वास्तविक	86,776	94,274	1,02,139	1,17,700	1,26,686
	राजस्व	71,833 (82.78)	79,517 (84.35)	87,720 (85.88)	99,139 (84.23)	1,06,021 (83.69)
	पूंजीगत	14,943 (17.22)	14,757 (15.65)	14,419 (14.12)	18,561 (15.77)	20,665 (16.31)
आयुध निर्माणियाँ	वास्तविक	1,704	2,103	3,964	13,576	14,779
	राजस्व	1,428 (83.79)	1,754 (82.88)	3,499 (88.26)	12,830 (94.50)	14,120 (95.54)
	पूंजीगत	276 (16.21)	349 (16.60)	465 (11.74)	746 (5.50)	659 (4.46)
आर एण्ड डी	वास्तविक	9,932	9,860	10,929	13,635	13,646
	राजस्व	5,321 (53.58)	5,218 (52.92)	5,696 (52.12)	6,236 (45.74)	6,183 (45.31)
	पूंजीगत	4,611 (46.43)	4,642 (47.08)	5,233 (47.88)	7,399 (54.26)	7,463 (54.69)

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए अंक राजस्व/पूँजीगत व्यय के कुल वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- 2015-16 के दौरान थल सेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें राजस्व व्यय में 6.94 प्रतिशत की और पूंजीगत व्यय में 11.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2011-12 से, व्यय के घटकों में क्रमश: 45.99 प्रतिशत, 47.59 प्रतिशत एवं 38.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- आयुध निर्माणी (ओ एफ) के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें राजस्व व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि और पूँजीगत व्यय में 11.66 प्रतिशत की कमी हुई। 2011-12 से, व्यय के घटकों में क्रमशः 767.31 प्रतिशत, 888.80 प्रतिशत एवं 138.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः संसद से बजट प्रावधान प्राप्त करने की प्रक्रिया में 2014-15 से, पूर्ववर्ती 'निवल आधार' से 'सकल आधार' में परिवर्तन के कारण थी।

- 2015-16 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 0.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 0.86 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 0.85 प्रतिशत की कमी हुई। 2011-12 से, व्यय के घटकों में क्रमश: 37.39 प्रतिशत,16.20 प्रतिशत एवं 61.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट-2** में सरसरी दृष्टि में दर्शायी जा रही है.

चार्ट-2: कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

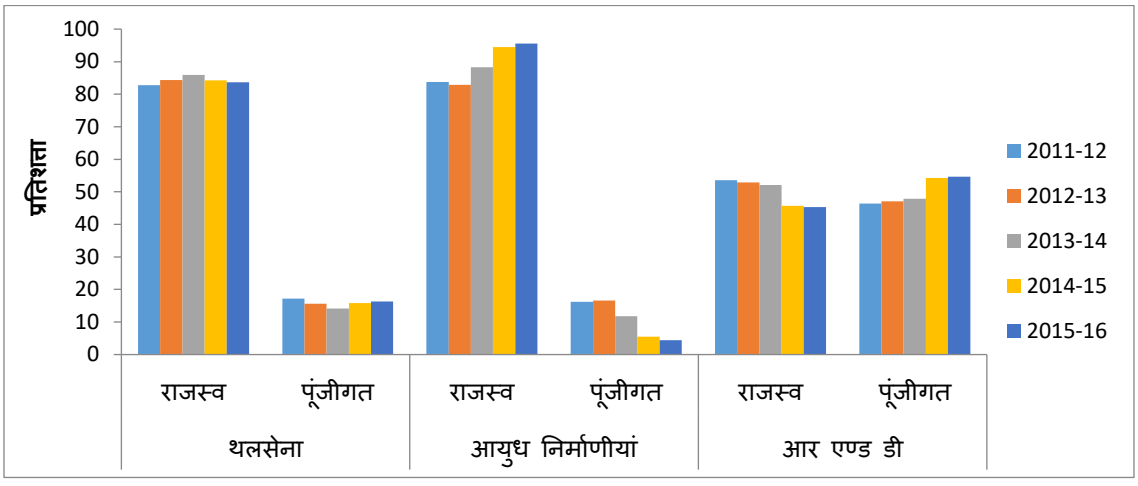

1.8 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)

1.8.1 थल सेना (दत्तमत)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थल सेना के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे **तालिका- 6** और **चार्ट-3** में दर्शाया गया है:

तालिका-6 :थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	39,996	46,057	50,533	56,997	60,687
भण्डार (लघु शीर्ष-110)	12,442	12,750	13,954	15,324	17,166
निर्माण कार्य (लघु शीर्ष-111)	5,709	5,769	6,384	7,399	7,658
राष्ट्रीय राईफ्ल्स (लघु शीर्ष-112)	3,585	4,076	4,436	4,967	5,239
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	3,361	3,674	4,056	4,422	4,640

चार्ट-3: थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

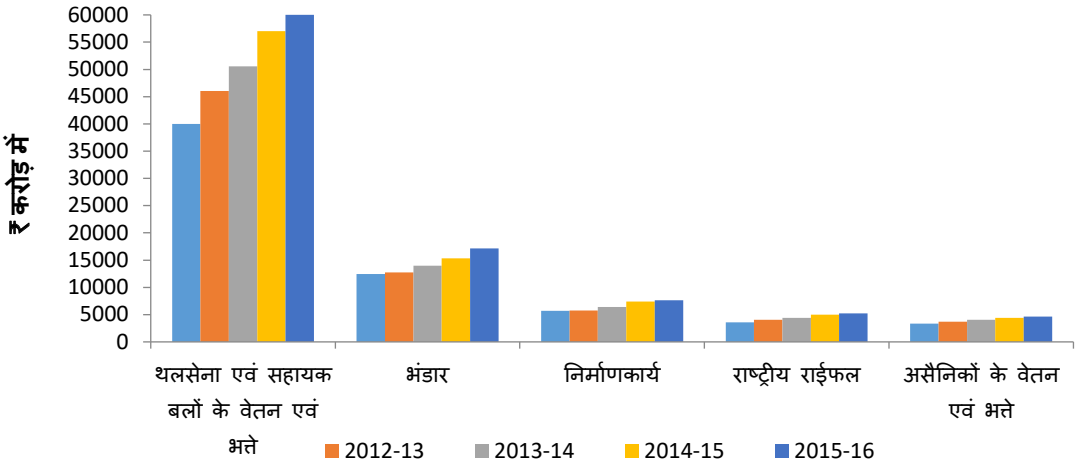

- 2015-16 में थल सेना के राजस्व व्यय में सात प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रति पांच लघु शीर्षों में समग्र वृद्धि तीन और 12 प्रतिशत के बीच थी।

1.8.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे **तालिका-7** और **चार्ट-4** में दर्शाया गया है:

तालिका-7: आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भंडार लघु शीर्ष- 110	6,101	5,692	5,990	5,686	6,522
विनिर्माण लघु शीर्ष- 054	4,415	4,336	4,563	4,961	5,234
नवीनीकरण एवं आरक्षित (आर एवं आर) निधि लघु शीर्ष- 797	325	350	375	400	425
नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष- 106	310	416	697	442	386
अन्य व्यय लघु शीर्ष-800	650	768	795	911	1055

- 2015-16 में आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रति ,उच्चतम व्यय वाले चार लघु शीर्षों जैसे, भंडार, विनिर्माण नवीनीकरण

एवं आरक्षित (आर एवं आर) निधि एवं अन्य व्यय में समग्र वृद्धि पाँच और 16 प्रतिशत के बीच थी। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में एक लघु शीर्ष-नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन में 13 प्रतिशत की कमी पाई गई।

चार्ट-4: आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

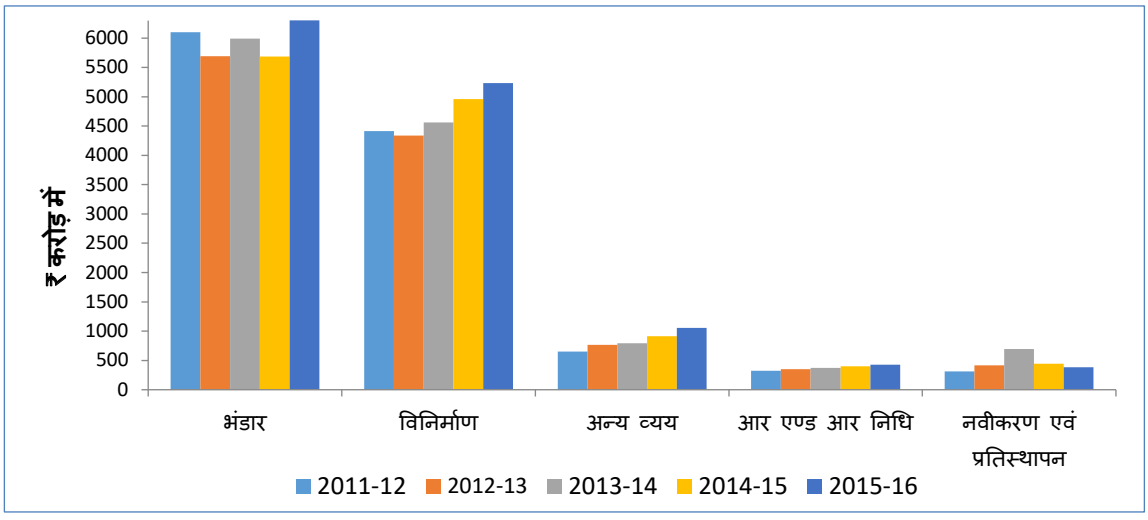

1.8.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय आर एण्ड डी के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे **तालिका-8** और **चार्ट-5** में दर्शाया गया है:

तालिका-8: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भंडार लघु शीर्ष-110	1,774	1,870	1,837	2,063	2,041
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 102	1,535	1,694	1,865	2,021	2,129
आर एंड डी लघु शीर्ष-004	984	517	765	733	605
निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	543	621	669	790	721
सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 101	198	226	251	285	309

चार्ट-5: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

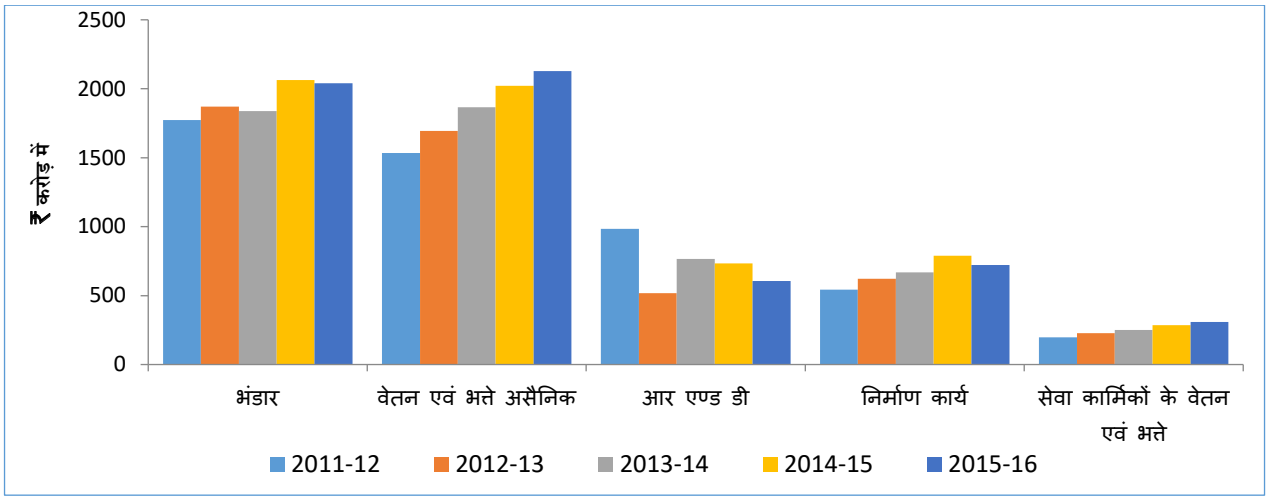

- वर्ष 2015-16 में अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय में 8.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के प्रति उच्चतम व्यय वाले दो लघु शीर्षों अर्थात असैनिकों के वेतन एवं भत्ते, और सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों में समग्र वृद्धि पाँच और आठ प्रतिशत के बीच थी। हालांकि, तीन लघु शीर्ष- भंडार, आर एंड डी एवं निर्माण कार्य के मामले में, पिछले वर्ष की तुलना में एक और 17 प्रतिशत के बीच कमी आई थी।

1.9 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति - मुख्य शीर्ष- 4076- अनुदान संख्या 28- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

1.9.1 पूंजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, (एस एम एच) अर्थात् उप मुख्य शीर्ष 01- थल सेना, उप मुख्य शीर्ष 02- नौसेना, उप मुख्य शीर्ष 03- वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष 04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष 06- निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष 07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष 08- प्रौद्योगिकी विकास।

1.9.2 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय[3] (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय के ब्यौरे नीचे **तालिका- 9** में दर्शाए गए हैः

[3]एस एम एच - 02 तथा एस एम एच - 03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायु सेना तथा नौसेना की संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एस एम एच - 08 के संबंध में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹40 करोड़ तथा ₹58 करोड़ था। एस एम एच - 07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

तालिका- 9: कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय	वर्ष				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रक्षा सेवाएं	67,844	70,483	79,093	81,742	79,802
थल सेना	14,943	14,757	14,419	18,561	20,665
आयुध निर्माणियाँ	276	349	465	746	659
अनुसंधान एवं विकास	4,611	4,642	5,233	7,399	7,463

- **रक्षा सेवाओं का पूंजीगत व्यय:** पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 2.37 प्रतिशत की कमी अंकित हुई है। थल सेना एवं आर एंड डी के मामले में वार्षिक वृद्धि क्रमश: 11 एवं 0.86 प्रतिशत थी। आयुध निर्माणियों में 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- 2011-12 से 2015-16 की अवधि में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में18 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के प्रति थल सेना, आयुध निर्माणियाँ एवं आर एंड डी के व्यय में क्रमशः 38,139 एवं 62 प्रतिशत की वृद्धि थी।

1.9.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) के मामले में बचत/अधिक व्यय की प्रवृत्ति

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय में बचत और अधिक व्यय की प्रवृत्ति **तालिका-10** में नीचे दर्शाए गए हैः

तालिका-10: पूंजीगत व्यय में बचत और अधिक व्यय की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत	
			बचत(-)	आधिक्य(+)
2011-12	69,148.01	67,843.96	1,304.05 **(1.89%)**	-
2012-13	79,526.99	70,483.32	9,043.67 **(11.37%)**	-
2013-14	86,685.31	79,092.91	7,592.40 **(8.76%)**	-
2014-15	94,257.01	81,741.90	12,515.11 **(13.28%)**	-
2015-16	94,451.52	79,801.95	14,649.57 **(15.51%)**	-

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए अंक बचत(-)/आधिक्य(+) को कुल अनुदान (दत्तमत) के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 1.89 से 15.51 प्रतिशत की निरंतर 'बचत' की गई।

- 2014-15 के दौरान 'बचत' में ₹12515.11 करोड़ (13.28 प्रतिशत) से 2015-16 में ₹14649.57 करोड़ (15.51 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई। हालांकि, ₹15122.13 करोड़ (16 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम कार्य दिवस पर समर्पित कराई गई जोकि बचत से अधिक थी।

1.10 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां/बचतें तथा लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों[4] ने अतिदत्त वेतन एवं भत्ते, विविध प्रभार, प्रशिक्षण शुल्क, एल टी सी दावे किराया और संबद्ध प्रभार, विद्युत प्रभार के प्रति ₹4.86 करोड़ की वसूली की थी, ₹5.08 करोड़ की कार्य संस्वीकृतियों को रद्द किया था तथा ₹48.70 करोड़ की मात्रा तक वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया, जिसका निवल प्रभाव ₹58.64 करोड़ था, यथा अनुलग्नक -I,II एवं III में दिया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिए जाते हैं। इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, अगस्त 2016 तथा फ़रवरी 2017 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय **II** से **VII** तक में प्रस्तुत 28 पैराग्राफों में से 20 पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे (जनवरी/फ़रवरी 2017)।

[4] आयुध निर्माणियों को छोड़कर-जिनके मामलों की चर्चा पैरा 7.1.4 में की गई है।

1.12 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने की दृष्टि से लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी (ए टी एन) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

जनवरी 2017 तक थल सेना से संबंधित की गई कार्यवाही की टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 73 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 26 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक ए टी एन कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 11 ए टी एनों (क्र. स. 1 से 11) में की गई कार्यवाही की टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि **अनुलग्नक- IV** में दर्शाया गया है।